संख्या-33/2022/I/142859/2022/23-11099/3277/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-11** **लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2022**

**विषय:-** जनपद देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.55 किमी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 507/पी0जे011/15पी0जे0(2)/21, दिनांक 12-11-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.55 किमी0) की मूल स्वीकृति शासनादेश सं०-158/2019/177(1)/23-11-2019-1/2(97)/2019, दिनांक 23-09-2019 द्वारा लागत रू0 182.90 लाख प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की मात्राओं में वृद्धि, जी0एस0टी0 आदि के कारण लागत में वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 388.05 लाख (रूपये तीन करोड़ अठ्ठासी लाख पॉच हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 | कार्य का नाम | मूल स्वीकृत लागत | पुनरीक्षित स्वीकृत लागत |
|---|---|---|---|
| 1 | जनपद देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.55 किमी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति। | 182.90 | 388.05 |

(1) प्रश्नगत कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23-/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी की श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की लागत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 से सम्मिलित न हो।

(9) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाईन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति को पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(12) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 के प्रस्तर-9 ख में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य पर उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(14) उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-158/2019/177(1)/23-11-2019-1/2(97)/2019, दिनांक 23-09-2019 की शेष प्रतिबन्ध/शर्ते यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग से अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-3617-दस-2021-22, दिनांक 08 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

**संख्या व दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लो0नि0वि0,उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in